



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:11687

[ए.एफ.आर.]

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

दीवानी विविध मध्यस्थता आवेदन संख्या - 19 वर्ष 2025

मेसर्स प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा भागीदार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता बड़ेलात्रआवेदक

बनाम

प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग और अन्यविपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : विपुल राय

विपक्षीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 17

महोदय सुभाष विद्यार्थी, न्यायमूर्ति

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विपुल राय की ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री अभिषेक द्विवेदी एवं राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री एस.के. खरे को सुना गया।

2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 11(6) के तहत दायर इस वर्तमान आवेदन के माध्यम से, आवेदक दिनांक 06.11.2015 के अनुबंध से उत्पन्न पक्षकारों के बीच के विवादों के अधिनिर्णयन के लिए एक मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग कर रहा है।

3. समझौते के क्लॉज़ 25.1.3 में एक मध्यस्थता क्लॉज़ निहित है। आवेदक ने उक्त मध्यस्थता क्लॉज़ के अनुसार विपक्षी पक्षों से मध्यस्थ की नियुक्ति किए जाने का अनुरोध किया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. दिनांक 06.12.2024 को कार्यपालक अभियंता, निर्माण खंड-2, लोक निर्माण विभाग द्वारा अधीक्षण अभियंता, हमीरपुर सर्किल, लोक निर्माण विभाग, हमीरपुर को एक पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें खंड 25.1.3 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति की संस्तुति की गई थी। तथापि, उक्त संस्तुति के बावजूद मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की गई, जिसके फलस्वरूप आवेदक द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

5. विपक्षी पक्षों द्वारा इस आवेदन के विरुद्ध आपत्तियाँ दाखिल की गई हैं, जिनमें मुख्यतः आवेदक के दावों की सत्यता को चुनौती दी गई है। तथापि, मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11(6) के अंतर्गत इस न्यायालय को आवेदक के दावों की सत्यता अथवा गुण-दोष की जाँच करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उक्त पक्षों का निस्तारण मध्यस्थ द्वारा किया जाना है।

6. राज्य द्वारा मध्यस्थता करार के अस्तित्व को विवादित नहीं किया गया है तथा यह भी अस्वीकृत नहीं किया गया है कि उक्त पत्र दिनांक 06.12.2024 के माध्यम से कार्यपालक अभियंता द्वारा स्वयं अधीक्षण अभियंता से मध्यस्थ नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया गया था।

7. चूँकि विपक्षी पक्षों द्वारा अब तक मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की गई है, अतः इस न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ नियुक्त करने का अवसर उत्पन्न हो गया है।

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कथन किया गया है कि यद्यपि मध्यस्थता खंड में तीन मध्यस्थों की पीठ (पैनल) द्वारा मध्यस्थता का प्रावधान है, तथापि विपक्षी पक्ष द्वारा उक्त खंड के अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति नहीं की गई है। अब जबकि इस न्यायालय द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किया जाना है, आवेदक ने यह प्रार्थना की है कि मध्यस्थता की लागत को कम करने के उद्देश्य से तीन मध्यस्थों की पीठ के स्थान पर एकल मध्यस्थ की नियुक्ति की जाए।

9. **यूनियन ऑफ़ इंडिया बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट: (2009) 4 एस सी सी 523** मामले में, अपील करने वाले ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नॉर्दर्न रेलवे और प्रतिवादी के बीच कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। जबकि पार्टियों के बीच कॉन्ट्रैक्ट की मध्यस्थता क्लॉज़ के अनुसार, समान पद वाले दो सेवारत राजपत्रित रेलवे अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारियों को मध्यस्थ के तौर पर नियुक्त किया जाना था एक कॉन्ट्रैक्टर द्वारा नॉर्दर्न रेलवे के जनरल मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराए गए पैनल से और दूसरा नॉर्दर्न रेलवे द्वारा और इस तरह नियुक्त किए गए दोनों मध्यस्थ मिलकर एक मध्यस्थ नियुक्त करते। उच्च न्यायालय का यह मानना था कि यह मामला 1999 से लंबित था और मध्यस्थता समझौते के तहत मध्यस्थता अधिकरण के गठन की जटिल प्रक्रिया, तथा समझौते के प्रावधानों का पालन करने में रेलवे की ओर से हुई देरी के कारण, मध्यस्थता प्रक्रिया वस्तुतः शुरू ही नहीं हो पाई इसलिए, अब तीन-सदस्यीय मध्यस्थता अधिकरण का पुनर्गठन करने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इसलिए, उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया और दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को मध्यस्थ नियुक्त कर दिया। उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करके चुनौती दी गई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारार्थ जो प्रश्न उठा, वह यह था कि क्या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किए जाने के आदेश को बदल कर दिया जाना चाहिए और क्या मध्यस्थता समझौते में दिए गए प्रावधानों के अनुसार फिर से एक मध्यस्थता अधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए और अपील को खारिज करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि:-

"13. नए अधिनियम के लागू होने के बाद की स्थिति अलग है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा नॉर्दर्न रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन, रेल मंत्रालय बनाम पटेल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड [(2008) 10 एस सी सी 240] के मामले में स्पष्ट किया गया है। इस न्यायालय ने यह माना कि मध्यस्थता समझौते में नामित मध्यस्थ (मध्यस्थों) की नियुक्ति करना अनिवार्य या अपरिहार्य नहीं है, बल्कि इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि मध्यस्थता समझौते की शर्तों का यथासंभव करीब से पालन किया जाए और/या उन्हें प्रभावी बनाया जाए।

14. नॉर्दर्न रेलवे के मामले [(2008) 10 एस सी सी 240] में आगे यह भी माना गया कि मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मध्यस्थता समझौते के तहत उपलब्ध उपचारों का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया हो, लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (8) की दोहरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। इसका तात्पर्य यह होगा कि सामान्यतः न्यायालय को सबसे पहले मध्यस्थता समझौते में प्रदान की गई प्रक्रिया के अनुसार ही मध्यस्थों की नियुक्ति करनी चाहिए। लेकिन जहाँ मध्यस्थता समझौते की शर्तों के अनुसार नियुक्त/नामित मध्यस्थ (मध्यस्थों) की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह हो, या जहाँ मध्यस्थता समझौते में दी गई व्यवस्था के अनुसार नियुक्त मध्यस्थता अधिकरण ने कार्य न किया हो और नई नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है, वहाँ मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति मध्यस्थता के प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उचित वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए शक्तिहीन नहीं हैं।"

10. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 24 सिक्योर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल लिमिटेड; 2024 एससीसी ऑनलाइन दिल्ली 4358 के मामले में उपरोक्त निर्णय का अनुसरण किया गया है, जहाँ मध्यस्थता खंड के अनुसार, तीन मध्यस्थों का एक पैनल होना था, लेकिन पक्षकार एक-एक मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सके और इसलिए, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन दायर किया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह माना कि:-

"22.यूनियन ऑफ इंडिया बनाम सिंह बिल्डर्स सिंडिकेट (2009) 4 एससीसी 523 में, उच्च न्यायालय ने सरकार की इस दलील को अस्वीकार कर दिया कि न्यायालय को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह तीन सदस्यीय मध्यस्थ अधिकरण के स्थान पर एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त कर सके, जबकि मध्यस्थता समझौते में तीन सदस्यों वाले पैनल का प्रावधान था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति की गई थी, और यह माना कि एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति विधिसम्मत है। 23. प्रस्तुत दलीलों तथा 16.08.2021 की सेवा समझौता की धारा 7, जिसमें मध्यस्थता का प्रावधान है, को ध्यान में रखते हुए, और याची द्वारा उठाए गए मध्यस्थता योग्य विवादों के मद्देनजर, तथा दोनों पक्षों के अधिकारों और दावों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यह याचिका स्वीकार की जाती है। श्री सिद्धार्थ शर्मा अधिवक्ता, मोबाइल नंबर 7400111111, को पक्षों के बीच उत्पन्न विवादों के निस्तारण हेतु मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाता है।"

11. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा इस निर्णय का अनुसरण झाझरिया निर्माण लिमिटेड बनाम साउथ वेस्टर्न रेलवेज 35 मुख्य अभियंता/4 कंस्ट्रक्शन के माध्यम से, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन डेल 7133 में रिपोर्ट किया गया है, के मामले में भी किया गया है। इस मामले में भी, मध्यस्थता खंड में तीन मध्यस्थों वाले एक मध्यस्थता अधिकरण की नियुक्ति की शर्त शामिल थी, लेकिन पक्षकार आपसी सहमति से अधिकरण का गठन करने में विफल रहे थे।

12. मैं उपरोक्त मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए पूर्वोक्त निर्णय से अपनी सहमति व्यक्त करता हूँ और मेरा यह भी मानना है कि भले ही मध्यस्थता समझौते में तीन मध्यस्थों का एक पैनल गठित करने का प्रावधान शामिल था जिसमें प्रत्येक पक्षकार द्वारा एक-एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाना था और दोनों मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ या अंपायर की नियुक्ति की जानी थी, फिर भी यदि पक्षकार अपने मध्यस्थ नियुक्त करने में विफल रहते हैं, अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन दायर किया जाता है और कोई पक्षकार यह अनुरोध करता है कि वह तीन मध्यस्थों के पैनल द्वारा संचालित की जाने वाली

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मध्यस्थता की उच्च लागत (खर्च) को वहन करने के लिए तैयार नहीं है तथा लागत को कम करने के उद्देश्य से एक एकमात्र मध्यस्थ की नियुक्ति का अनुरोध करता है, तो यह न्यायालय उस अनुरोध को स्वीकार कर सकता है।

13. इसलिए, मैं पार्टियों के बीच विवादों के निपटारे के लिए मध्यस्थ के तौर पर काम करने के लिए **माननीय न्यायमूर्ति वी. के. माथुर (रिटायर्ड)** का नाम प्रस्तावित करता हूँ। वे इस कोर्ट के पूर्व जज रहे हैं और इनका पता है: फ्लैट नंबर- 203, सामिया मेलरोज़ स्क्वायर, वृंदावन कॉलोनी, सेक्टर 6सी, सी.एन.जी.पंप के पास, लखनऊ (उ.प्र.)/304, रेडियम अपार्टमेंट्स, न्यू हैदराबाद, लखनऊ, उ.प्र. मोबाइल नंबर: 8004928876, 9717779924।

14. ऑफिस को निर्देश दिया जाता है कि वह माननीय जस्टिस वी. के. माथुर से उनकी सहमति लेने के लिए यह आदेश उन तक पहुँचाए।

15. सर्विस की सूचना मिलने के बाद इसे लिस्ट किया जाए।

फरवरी 11, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)